भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2668
04/08/2026 को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में पीएमएमएसवाई

2668. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को वर्ष 2020-21 से वर्ष-वार जारी की गई कुल निधि तथा प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण-पत्रों की संख्या कितनी है और व्यपगत हुई अथवा उपयोग के लिए लंबित केंद्रीय निधि की राशि कितनी है और इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है, राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया है और राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल को अनंतिम रूप से आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए पश्चिम बंगाल हेतु तालाब मत्स्यपालन, शीत श्रृंखला अवसंरचना, मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मोटरीकरण, मछुआरा बीमा और पीएम-एमकेएसएसवाई के औपचारिकीकरण को कवर करते हुए निर्धारित लक्ष्य जिला-वार क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य के 3.6 लाख हेक्टेयर जल निकायों में विशेष रूप से सुंदरबन के मछुआरों, बाघ के हमले में पति को खोने वाली विधवाओं तथा अंतर्देशीय मत्स्यपालकों के लिए पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, 2020-21 से प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान PMMSY के तहत ₹223.25 करोड़ के केंद्रीय शेयर सहित ₹546.38 करोड़ की राशि के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति दे दी गई है। इस अनुमोदन के तहत, फंड की उपयोगिता के आधार पर राज्य को केंद्रीय शेयर के रूप में ₹107.04 करोड़ की राशि जारी की गई है और राज्य सरकार ने ₹95.54 करोड़ के उपयोग की पुष्टि की है। PMMSY के तहत पश्चिम बंगाल को स्वीकृत परियोजनाओं और जारी किए गए फंड का वर्षवार विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ख) PMMSY, जिसे मूल रूप से 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया था, उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 31 मार्च 2026 तक, और उसके बाद अस्थायी रूप से सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया था। इसलिए, 2026-27 के लिए राज्यों से वार्षिक कार्य योजनाएं नहीं मांगी जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में PMMSY के कार्यान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (SLAMC) का गठन किया गया है और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ₹30.00 करोड़ का आवंटन किया गया है और PMMSY को कार्यान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को ₹20.00 करोड़ की 'मदर सैंक्शन' जारी की गई है। राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष में जारी ₹20.00 करोड़ की 'मदर सैंक्शन' (मूल मंज़ूरी) के तहत ₹8.52 करोड़ के उपयोग की जानकारी दी है।

(ग) PMMSY योजना का विस्तार सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य ने योजना अवधि के अंत तक सभी स्वीकृत गतिविधियों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) के अंतर्गत, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) शुरू किया गया है, जिसके विभिन्न मॉड्यूल में पंजीकरण, सहकारी सुदृढ़ीकरण, जलकृषि बीमा, परफॉर्मेंस ग्रांट, क्रेडिट, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तथा पता लगाने की क्षमता शामिल हैं। अब तक , पश्चिम बंगाल में कुल 1.83 लाख मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने NFDP पर पंजीकरण कराया है। ज़िलेवार पंजीकरण का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(घ) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, राज्य में मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण, और सुंदरबन क्षेत्र के जिलों सहित सभी जिलों में समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों, महिलाओं और विधवाओं/ टाइगर विधवाएं सहित अंतर्देशीय मत्स्य किसानों जैसे पात्र लाभार्थियों की आजीविका में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और केंद्रीय निधि के उपयोग की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

अनुबंध I

पश्चिम बंगाल में पीएमएमएसवाई के संबंध में 4 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2668 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण -

PMMSY के तहत पश्चिम बंगाल को स्वीकृत परियोजनाओं और जारी किए गए निधि का वर्षवार विवरण -

(रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	कुल परियोजना लागत	जारी निधि
1	2022-23	42491.51	5076.00
2	2023-24	7099.91	0.00
3	2024-25	4650.89	442.33
4	2025-26	395.96	3186.00
5	2026-27	-	850.00
	कुल	**54638.27**	**9554.33**

अनुबंध II

पश्चिम बंगाल में पीएमएमएसवाई के संबंध में 4 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2668 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पश्चिम बंगाल में जिलेवार एनएफडीपी पंजीकरण :

क्रम संख्या	जिले का नाम	एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकृत हितधारकों का विवरण (संख्या)
(i)	(ii)	(iii)
1	अलीपुरद्वार	1,199
2	बांकुड़ा	3,274
3	बीरभूम	2,531
4	कूच बिहार	5,317
5	दक्षिण दिनाजपुर	3,812
6	दार्जिलिंग	678
7	हुगली	2,577
8	हावड़ा	4,032
9	जलपाईगुड़ी	3,638
10	झारग्राम	1,207
11	कलिम्पोंग	108
12	कोलकाता	211
13	मालदाह	16,399
14	मुर्शिदाबाद	22,436
15	नादिया	6,922
16	उत्तर 24 परगना	10,601
17	पश्चिम बर्धमान	1,586
18	पश्चिम मेदिनीपुर	6,915
19	पूर्व बर्धमान	4,170
20	पूर्व मेदिनीपुर	23,071
21	पुरुलिया	2,359
22	दक्षिण 24 परगना	58,479
23	उत्तर दिनाजपुर	2,393
	कुल योग	**183,915**
